who sell them at the district level at least, so that the source at which seeds are adulterated can be checked in time, if not with every dealer but at least with the main distributor?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: The Seeds Act applies to all those persons who sell seeds of specified qualities and they have to sell the seed of specified qualities under this Act. If the seed sold is not of specified quality, there are methods of finding that out and checking the seed too. If it is found that he is not selling seed according to specified qualities action can be taken against him. It is provided, first the offender is punished and then if he is a second time offender he is punished more heavily i.e. with imprisonment.

चौधरी बलबीर सिंह : क्या सरकार कानून बनाएगी ताकि जितने सीड बेचने वाले हैं उन के ऊपर पाबन्दी लग सके और वे लिख कर दें कि कहां से उन्होंने सीड लिया है और इस तारीख को लिया है ताकि यह जो दिक्कत पैदा होती है कि सीड समय से ज्यादा का हो गया है और उस में पैदा करने की कैपेसिटी नहीं रह जाती है वह दूर हो सके ? क्या सरकार इस किस्म के ब्लाक और रेग्युलेशंज बनाएगी ताकि किसान को सही किस्म का बीज मिल सके, अच्छी क्वालिटी का मिल सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पहले से ही रूल बना हुआ है । रूल 17 के नीचे जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उस में ये चीजें शामिल करनी पड़ती हैं ।

Certification tag shall contain the following particulars, viz., the name and address of the certification agency, the kind of variety of the seed, lot number and the other mark of the seed, the name and address of the certified seed producer, the date of issue and certificate of its validity, an appropriate sign to designate the certified seed, an appropriate word denoting classification of the seed, etc.

चौधरी बलबीर सिंह : कोई नहीं करता है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है ।

News Item 'Arab Prince Bags Six Bustards'

+

*826. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:

SHRI CHHITUBHAI GAMIT:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Minister's attention has been drawn to the news item 'Arab Prince bags six bustards' appearing in the *Hindustan Times* dated 9th March, 1979 and state as to who gave the permission to shoot the prohibited birds in the Saurashtra area to the Arab Prince; and

(b) whether such acts by the visiting Arab country Princes have taken place earlier also and the reason for the inefficiency to control these in unpleasant acts by these Princes and the action proposed to be taken against the staff/officer who allowed such extinction of this rare species of birds, if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) According to the information received from the Government of Gujarat the press report of hunting of six bustards by Arab Prince in Saurashtra is not correct.

(b) The Government of India have allowed certain very important persons from the Gulf countries to hunt the lesser bustards on a very restricted scale in the border areas of Rajasthan involving 14 such hunting parties between December 1974 and January 1979. This was done in consideration of India's relations with these countries and in its national interest taking into account the

various bilateral and international matters.

श्री हुकम चन्द कछवाय : वक्तव्य में बताया गया है कि दिसम्बर 74 से जनवरी 79 तक केवल चौदह जानवर मारे गए हैं जो शिकार किया गया है उस में या चौदह बार शिकार करने की अनुमति बाहर के लोगों को दी गई है यह स्पष्ट नहीं हुआ है ? मैं जानना चाहता हूं कि शिकार किन किन जंगलों में किन किन राज्यों में किया गया है और कौन कौन जानवरों का शिकार किया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से शिकार करने की अनुमति क्या और लोगों को भी दी गई है? जो चोरी छिपे शिकार करते हैं क्या उस प्रकार के कोई मामले आपकी पकड़ में आए हैं और आए हैं तो कितने और उन में आपने क्या कार्रवाई की है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो जवाब दिया है उसमें बहुत ठीक ढंग से लिखा गया है कि :

The Government of India have allowed certain very important persons from the Gulf countries to hunt the lesser bustards on a very restricted scale in the border areas of Rajasthan involving 14 such hunting parties, not 14 birds but hunting parties, between December 1974 and January 1979.

MR. SPEAKER: What is the total number of birds that were shot?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: It is not possible to find out what is the total number of birds that they shoot because there are various types of birds that they shoot. Sometimes they shoot partridges, sometimes other birds and animals that are there. It is not possible to find out what is the total number of birds, but I have names of the parties which were allowed. That information is with me.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न कीजिये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले आना चाहिये । मंत्री महोदय ने कहा है कि बहुत से महत्वपूर्ण लोगों को शिकार की अनुमति दी गई । मैंने यह जानना चाहा है कि जब आप इस प्रकार की अनुमति देते हैं तो क्या कोई सीमा लगाते हैं कि इतने जानवरों या पक्षियों का आप शिकार कर सकते हैं और साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध आप लगाते हैं कि इन इन जानवरों या पक्षियों का आप शिकार कर सकते हैं और इन इन का नहीं कर सकते है ? मैं यह भी जानना चाहता था कि इन लोगों ने किन किन जानवरों का शिकार किया और कितनी संख्या में किया ? साथ ही इनको कितनी देर तक शिकार करना चाहिये था और कितनी देर इन्होंने शिकार किया ?

MR. SPEAKER: About other animals, he cannot answer.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जब किसी को इजाजत दी जाती है तो प्रोहिबिटिड जानवर या पक्षी हैं जिन को मारा नहीं जा सकता है उनको बता दिया जाता है कि इनका आप शिकार नहीं करेंगे । दूसरों का वे कर सकते हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय मुझे दूसरा सवाल पूछने दीजिये । अभी जो मैंने पहले सवाल को रिपीट किया है क्योंकि उसका जवाब ठीक नहीं आया था ।

MR. SPEAKER: Is there a single day when your question is answered?

श्री हुकम चन्द कछवाय : आपने कहा है कि विभिन्न द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों को ध्यान में रखते हुए शिकार की अनुमति दी जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ अपने सम्बन्धों और उनके हितों को ध्यान में रख कर उन्हें शिकार करने की अनुमति दी जाती है ? और क्या शिकार करना ही अच्छे सम्बन्धों की कसौटी है ? और अगर उन्हें शिकार करने की अनुमति नहीं देंगे तो क्या सम्बन्ध बिगड़ेंगे ? ऐसे कौन से देश हैं उनकी जानकारी हमें दी जाय ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 14 पार्टियां जो देशों की बतायी गयी हैं इनमें अबूधाबी है यू०ए०ई० है.....

MR. SPEAKER: He wants to know whether it is a bilateral agreement.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: It is not a bilateral agreement. It is just a concession given to them.

श्री छोटूभाई गामित : कई दिनों पहले गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में अरब के शहजादों ने आ कर सौराष्ट्र के पक्षियों का शिकार किया था । उसके बारे में गुजरात के अखबारों में खबर निकली थी और टाइम्स आफ इंडिया में खबर निकली थी । और इस खबर के बाद गुजरात सरकार के वन वरिष्ठ अधिकारी ने इस खबर का खंडन किया है । मंत्री जी ने जो जवाब हमें दिया है यहां पर उसमें बताया गया

है कि कुछ सीमित संख्या में शिकार करने के लिये अनुमति दी गई है । तो गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने जो स्टेटमैंट दिया था जो गुजरात के अखबारों में छपा है कि उन्होंने शिकार नहीं किया है, ऐसा बताया गया है । और यहां पर कहा गया है कि उन्होंने शिकार किया है । तो गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में साहजादों ने किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से पक्षियों और पशुओं का शिकार किया ? और जो शिकार किया क्या गुजरात सरकार को उनके बारे में खबर दी थी कि नहीं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो हमें सूचना मिली है उसके मुताबिक एक श्री जयदीप सिंह हैं गुजरात में जो कि एम०एल०ए० हैं बैरिया के, उनका बयान इस बारे में लिया गया । गुजरात सरकार ने उसके आधार पर कहा है । उन्होंने बताया कि

"Prince Fahad Bin Mohammed of Saudi Arabia accompanied with a retinue of three attendants and two falcons, had visited Baria from Bombay as his personal guests."

यह उन्होंने बताया 3 मार्च, 1979 को, उनके पास वह कुछ एक, दो दिन थे । ऐसे तो श्री जयदीप सिंह जी ने उनको यह लिखा है कि जैनावर क्षेत्र में जो सुन्दरनगर जिले में हैं 4 मार्च को वहां ले गये और 5 मार्च को स्माल हंटिंग कैम्प का डैमान्स्ट्रेशन जयदीप सिंह ने किया जिसमें उन्होंने बताया कि हमने उनको यह डेमान्स्ट्रेशन दिया । लेकिन जो बाहर के इनके मेहमान आये हुए थे उन्होंने कोई शिकार नहीं मारा । हमने कुछ पैट्रिजेज तीतर, सैंडगूज और खरगोश मारे, जिसका लाइसेंस जयदीप सिंह जी के पास है । और उन्होंने कोई शिकार खुद नहीं किया ।

DR. KARAN SINGH: Under the provisions of the Wild Life Protection Act, shooting of rare birds and species is totally banned. And the Godawan, the greater Indian Bustard is one of the rarest birds in the world. It is on the verge of extinction. Now about this report that came out in the papers about the Bustard, there is a confusion because the lesser Indian Bustard, the Tilor, is a migratory bird that comes from the Soviet Union whereas the Godawan, which is the greater Indian Bustard, is one of the rarest birds in the world. When this report came out, the Government did not clearly specify whether any Godawan had been killed or not or whether they had been permitted to hunt for the Tilor. They hunt there with the hawks and the falcons. Now, what is the assurance that the Godawan is not killed? We are not questioning the need for maintaining good international relations if you have got to give something. But you must ensure that the Godawan is not killed because that is one of the rarest birds in the world and conservationists all over the world are greatly horrified at this. Will the Minister kindly clarify this position.

(*Interruptions*)

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, this great Indian Bustard is actually a rare bird and nobody is allowed to kill that bird with falcon or by gun. So, there has been no report. We have been enquiring from the governments, there have been no reports that any great Indian Bustard was killed by any of these guests who were there.

श्री मृत्युंजय प्रसाद: मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आखिर आपने पाबन्दी लगाई तो उस पाबन्दी की शक्ल क्या थी और वह पाबन्दी लोगों ने मानी इसके लिये आपने क्या प्रीकौशन्ज या सावधानी बरती, या उसके खिलाफ कार्यवाही हुई तो उसकी जानकारी आपको मिली या नहीं मिली ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने तो पहले ही जवाब दिया हैं कि श्री जयदीप सिंह जी खुद उनके साथ थे, उनके सामने ही जो कुछ हुआ वह हुआ, जयदीप सिंह जी ने खुद ही अपने आप शिकार खेलकर दिखाया । जो वहां से आये थे, उन्होंने शिकार खेला नहीं, ऐसी इत्तिला हमको मिली है । उनका बयान रिकार्ड किया गया है । दूसरी भी जो इत्तिला है उसके मुताबिक बाहर के जो गैस्ट आये थे, उनको बता दिया गया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर पाबन्दी है, इसका शिकार नहीं करना है और हमारे पास कोई इत्तिला नहीं है कि एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वहां मारा गया ।

Purseseines Fishing Boats in Karnataka, Kerala and Lakshadweep

+

*827. SHRI P. M. SAYEED:
SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the exports of marine products from Karnataka is likely to be all time high during the current